अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

प्रार्थी
भंवरी कुवर पत्नि नाथूसिह राजपूत
निवासी गोला तहसील शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण
1 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
2 वीरसिह पुत्र नाथूसिह
3 रामसिह पुत्र नाथूसिह
4 हरिसिह पुत्र नाथूसिह
5 सज्जनकुवर पुत्री नाथूसिह
6. उगम कुवर पुत्री नाथूसिह जातियान राजपूत निवासीगण गोला तह0.शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र–01 /2021

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:आदेश:–

दिनांक 28.01.2021

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत मौजा गोला पटवार हल्का आल्या भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् खाता संख्या 44 के खसरा नंम्बर 109, 111, 112, 118, 119, 120, 121 किता सात कुल रकबा 84–17 बीघा भूमि प्रार्थीया व अप्राथीगण दो लगाय 6 की सयुक्त खातेदारी की है। जिसे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि पूर्व मे प्रार्थीया के पति स्व नाथूसिह के खातेदारी की थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगाय 6 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रृटिपूर्वक भंवरीकुवर के स्थान पर सागर कुवर पत्नि नाथूसिह दर्ज हो गया जिससे राजस्व रेकर्ड मे भी सागर कुवर दर्ज हो गया जबकि स्व नाथूसिह की पत्नि का नाम भंवर कुवर है जो प्रार्थीया स्वयम है। वादीनी का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड मे भी भंवरी कुवर दर्ज है तथा संरपंच ग्राम पंचायत आल्या ने दिनाक 6.01.2021 को प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे सागर कुवर है जबकि उक्त दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रार्थीया का नाम भंवरीकुवर पत्नि नाथूसिह है उक्त दोनो नाम एक ही महिला को होनो का प्रमाण पत्र जारी किया है। अतः सागरकुवर के स्थान पर भंवरीकुवर नाम इन्द्राज दुरस्ती आदेश हेतु उक्त वाद पत्र श्रीमान को पेश किया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनाक 21.01.2021 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तहसीलदार शिवगंज व अन्य को नोटिस जारी किये गये। दिनाक 28.1.2021 को प्रार्थीया मय अधिवक्ता एंव अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थीया जो उनकी माता है तथा वादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदार भी है नाम दुरस्त किये जाने हेतु शपथ पत्र पेश किये जा शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार शिवगंज ने स्टेट की ओर से जवाब मे प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम सागर कुवर के स्थान पर भंवरीकुवर किया जाता है तो तों सरकार के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पडता है साक्ष्य एंव शपथ पत्र अनुसार नाम दुरस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नही होने का पेश किया।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस को सुनी गई जिसमे प्रार्थीया का नाम दस्तावेजी साक्ष्य भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड मे भी भंवरी कुवर दर्ज है तथा संरपंच ग्राम पंचायत आल्या द्वारा दिनाक 6.01.2021 को प्रमा[illegible] आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्त करने का कथन किया एंवम तहसीलदार शिवगंज के [illegible] मे प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे सागर कुवर के स्थान पर भवरीकुवर दुरस्त किया जाने पर [illegible] नही होना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र–01 / 2021अ.धारा 136 एलआरएक्ट
भवरीकुवर बनाम तहसीलदार व अन्य

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस कथन पर मनन किया जाने पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष मे बनता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीया व अप्रार्थीगण दो लगाय 6 की सयुक्त खातेदारी भूमि मौजा गौला पटवार हल्का आल्पा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवत् 2064–67 खाता संख्या 44 खसरा नम्बर खसरा नंम्बर 109, 111, 112, 118, 119, 120, 121 किता सात कुल रकबा 84–17 बीघा मे दर्ज गलत नाम सागर कुवर को दस्तावेजी साक्ष्य एंव तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार शिवगंज को सागर कुवर के स्थान पर भवरीकुवर पत्नि स्व. नाथूसिह नाम दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

बसब्त आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी * शिवगंज (राजस्थान)

भागीरथ राम R.A.S
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/56 दि. 28.1.2021

प्रतिलिपि पालनार्थः–
1.तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:09 IST
Reason: SelfAttested